

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से विनम्र
इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अनुरोध की जाती है कि वे भारत को बिना किसी
टोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता
और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।


THESE ARE TO REQUEST AND REQUEST IN THE NAME OF
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM
IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY
WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER,
EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE
MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA
सहायता नयने



श्रीमती श्रीवार्ता, ए. वि. नै.
Geetha Srivastava, IFS
श्रीमती प्रादेशी अधिकारी
Regional Passport Officer
श्रीमती प्रादेशी कार्यालय
Regional Passport Office
कोलकाता / KOLKATA

पासपोर्ट
PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

Siddhant Shah

Blank lines for handwritten text.

निरीक्षण / OBSERVATION

विभिन्न सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

PANKAJ CHHOTALAL SHAH



N7443229

माता का नाम / Name of Mother

KOSHA SHAH

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

227/2 A J C BOSE ROAD

KOLKATA, KOLKATA

PIN: 700020, WEST BENGAL, INDIA

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

F7310796

17/05/2006

KOLKATA

फाइल नं. / File No.

CA2079202877516

Siddhant Shah

पंजीकरण
विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/
केन्द्र में अपना पंजीकरण करवाएं।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुप्त हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को सत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत पृष्ठानुष्ठ के बाद ही डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

Siddharth Shah